

Western Railway

Rajkot Division

No. MD/173/1/DRM/RJT/2021-22/02 Dt.02-12-2021.

Address of the Office: Chief Medical Superintendent divisional Hospital Western railway, Kothi compound Jamnagar road, Rajkot-360001.

Tender No. MD/173/1/DRM/RJT/2021-22

Name of work: Rajkot Division:

Fresh empanelment of private hospitals(s) with Railways equipped with minimum 30 beds for treatment of railway patients and beneficiaries of Rajkot division and other divisions of Western Railway. If any, This tie-up will be for regular referrals of both serving and retired railway patients at following locations-

i. Cancer Hospital Rajkot

Charges for treatment by all hospitals will be the at par or below as per CGHS rates (for procedures shown in Ahmadabad 2014 rate list or at lower rates/low competitive) for NABH/Non-NABH. Interested private hospital(s) will submit their rates offer for procedures/investigation list.


Private Hospitals will have to carry out investigations/procedures required for railway patients. List of such Investigation/Procedures may be obtained from railway Hospital, Rajkot after one week. Interested Private Hospital may furnish their rates in prescribed Performa (may be collected from Chief Medical Superintendent Divisional Hospital, Western Railway, Kothi Compound Jamnagar Road, Rajkot-360001), and submit back in sealed cover before 30-12-2021.

Term of contract: Two Years.

Private hospital(s) interested in above work will submit their willingness letter immediately for inspection of their hospital by railway authorized representatives.

Memorandum of Understanding (MoU) will be made between the selected private hospital and railways as per Railway Board's letter No.2016/H/1/11/69 Hospital recognition dt.23-12-2016.

The selected hospital / institute will have to deposit amount of Rs. 2 lakhs Performance Guarantee (PG) for 30 months with railways.


ગુણ નિયંત્રણ અધિકારી
Chief Medical Superintendent
વિભાગ કોથી, જામનગર
૨૩-૧૨-૨૦૨૧

पश्चिम रेलवे
राजकोट मंडल

No. MD/173/1/DRM/RJT/2021-22/02 Dt.02-12-2021.

कार्यालय का पता: मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मंडल अस्पताल पश्चिम रेलवे, कोठी परिसर जामनगर रोड,
राजकोट-360001।

निविदा संख्या. MD/173/1/DRM/RJT/2021-22

कार्य का नाम : राजकोट मंडल :

रेलवे के रोगियों और राजकोट डिवीजन और पश्चिम रेलवे के अन्य डिवीजनों के लाभार्थियों के इलाज के लिए न्यूनतम 30 बिस्तरों से लैस रेलवे के साथ निजी अस्पतालों का नया पैनाल। यदि कोई हो, तो यह गठजोड़ निम्नलिखित स्थानों पर सेवारत और सेवानिवृत्त रेलवे रोगियों दोनों के नियमित रेफरल के लिए होगा-

i. कैसर अस्पताल राजकोट

सभी अस्पतालों द्वारा इलाज के लिए शुल्क एनएबीएच/गैर-एनएबीएच के लिए सीजीएचएस दरों (अहमदाबाद 2014 दर सूची में दर्शाई गई प्रक्रियाओं के लिए या कम दरों/कम प्रतिस्पर्धी) के बराबर या उससे कम होगा। इच्छुक निजी अस्पताल प्रक्रियाओं/जांच सूची के लिए अपना दर प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।


निजी अस्पतालों को रेलवे के मरीजों के लिए आवश्यक जांच/प्रक्रिया करनी होगी। ऐसी जांच/प्रक्रियाओं की सूची एक सप्ताह के बाद रेलवे अस्पताल, राजकोट से प्राप्त की जा सकती है। इच्छुक निजी अस्पताल निर्धारित प्रोफार्मा में अपनी दरें प्रस्तुत कर सकते हैं (मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मंडल अस्पताल, पश्चिम रेलवे, कोठी कंपाउंड जामनगर रोड, राजकोट -360001) से एकत्र किए जा सकते हैं, और 30-12-2021 से पहले सीलबंद लिफाफे में वापस जमा कर सकते हैं।

अनुबंध की अवधि: दो साल।

उपरोक्त कार्य में रुचि रखने वाले निजी अस्पताल (अस्पताल) रेलवे के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा अपने अस्पताल के निरीक्षण के लिए तत्काल अपना इच्छा पत्र प्रस्तुत करेंगे।

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2016/एच/1/11/69 अस्पताल मान्यता दिनांक 23-12-2016 के अनुसार चयनित निजी अस्पताल और रेलवे के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया जाएगा।

चयनित अस्पताल/संस्थान को रुपये की राशि जमा करनी होगी। रेलवे के साथ 30 महीने के लिए 2 लाख प्रदर्शन गारंटी (पीजी)


मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
Chief Medical Superintendent,
पश्चिम रेलवे, राजकोट
राजकोट-360001